

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर
पीठासीन अधिकारी- श्री जय कौशिक (आर.ए.एस)

दावा संख्या 130/2022

राधा देवी पत्नि बंशीधर जाति ब्राह्मण निवासी भादवासी तहसील व जिला सीकर
-वादीया-

बनाम


- 1- द्वारका प्रसाद
- 2- ताराचन्द पुत्रगण टीकुराम जाति ब्राह्मण
- 3- महेन्द्र
- 4- सुभाष पुत्रगण झाबर जाति ब्राह्मण
- 5- सुशीला
- 6- सम्पु
- 7- सन्तोष
- 8- मंजू
- 9- संजू पुत्रियां झाबर जाति ब्राह्मण समस्त निवासीगण भादवासी तहसील व जिला सीकर
- 10- सुभिता पत्नी दीपक
- 11- हेमन्त पुत्र दीपक
- 12- करण पुत्र दीपक निवासीगण चरण सिंह नगर नवलगढ रोड़ प्रयास कोचिंग के पास सीकर
- 13- बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा कटराथल जरिये प्रबंधक
- 14- उपपंजीयक सीकर
- 15- तहसीलदार सीकर

- प्रतिवादीगण-

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

तहसीलदार सीकर के विभाजन प्रस्ताव क्रमांक भू.अ/2023/2039 दिनांक 01.06.2023 के अनुसार वकील उभयपक्षों की सहमति से अंतिम डिक्री दी जाती है। विभाजन प्रस्ताव डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार इसी अनुसार अमल दरामद व तरमीम करें।




(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी- सीकर
उपखण्ड अधिकारी सीकर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
वाद पत्र के लिए स्टाम्प	5.00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	36.00
शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
..... रुपये पर प्लीडर की फीस	36.00	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़	41.00	जोड़	36.00

आज तारीख 29.08.23 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी सीकर

